ख्या

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –30 / 2023 (अपील)

GCMS No.- 2023 / 86

1. राजू दत्तक पुत्र लाला जाति बलाई
2. कमला पुत्री लाला जाति बर्ला निवासी बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. लछमा बाई पुत्री लाला जाति बलाई निवासी बालीता हाल निवासी वार्ड नं0
4. मेघवालों का मोहल्ला कारपरेन जिला बून्दी

–अपीलाण्ट.

बनाम

1. आकाश पुत्र ओम प्रकाश जाति बलाई
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र ओम प्रकाश जाति बलाई
3. शशि कुमारी पुत्री ओम प्रकाश जाति बलाई
   निवासीगण चौथमाता मंदिर के पास नहर के किनारे तेखडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 12.09.2007 सपठित इन्तकाल ग्राम बालीता तहसीलदार लाडपुरा ।

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक–06.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खातेदार नट्टी बाई के फोत होने पर ग्राम बालिता की खातेदारी भूमि का नट्टी बाई के वारिसान अपीलांटान के नाम नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 12.09.2007 को स्वीकृत किया गया । जिसमें अपीलान्टान की वल्दियत में पिता के स्थान पर माता का नाम लिखा जाने से वल्दियत दुरूस्ती हेतु यह अपील प्रस्तुत की है ।

2. अपीलान्ट द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 12.9.2007 को पेश की है । जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री जाकिर मोहम्मद का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलान्ट बहस हेतु उपस्थित । रेस्पो0 के वकील अनु0 । आवांजे लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं होने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । वकील रेस्पो0 को आदेश की तारीख तक अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करने का समय दिया गया किन्तु रेस्पो0 एवं वकील रेस्पो0 अनुपस्थित रहने पर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस पर निर्णय करने का निर्णय लिया गया ।

3. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने फौती नामान्तकरण खातेदार नट्टी की मृत्यु के प्श्चात उसके वारिसान के नाम खोला गया है उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट्स के पिता लाला का नाम दर्ज नहीं कर माता नट्टी का नाम दर्ज किया गया है जबकि वास्तविक रूप से कानून की मंशा के अनुसार

जिला कलक्टर
कोटा

नट्टी के पति व अपीलान्ट के पिता का नाम अपीलान्ट्स के पिता के रूप में उक्त नामान्तकरण में दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु उक्त आराजी में अपीलान्ट्स की माता का नाम अपीलान्ट के रूप में दर्ज किया गया है । अपीलान्ट को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त तथ्यों को नहीं समझ पाये अभी जब प्रार्थीगणक ो उक्त भूमि पर ऋण लेने आदि की आवश्यकता हुई तो अपने अपने पिता का नाम मांगा गया तब अपीलान्ट्स ने नकल नामान्तकरण जेर अपील की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.1.2023 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 7.2.2023 को नकल प्राप्त कर यह अपील अवधि मध्य पेश है । जमीन के संबंध में या राजस्व रिकार्ड के संबंध में किसी पक्षकार के मध्य कोई विवाद नहीं है केवल उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाने की हद तक ही उक्त अपील पेश की जा रही है । अन्य सह खातेदार के विरूद्व कोई रिलीफ नहीं चाही गई है । अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट की माता के स्थान पर पिता लाला का नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

4. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया यह अपील ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खातेदार नट्टीबाई के फोत होने पर खातेदारी भूमि का वारिसान में नामान्तकरण संख्या 347 दिनांक 12.09.2007 में अपीलांट्स की वल्दियत पिता के स्थान पर माता का नाम रखने से यह अपील दिनांक 14.2.2023 को इस त्रुटि को दुरूस्त करवाने की हद तक यह अपील पेश की है । अपील मियाद बाहर है किन्तु लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना में विलम्ब के लिए कारण व्यक्त किया है कि जब प्रार्थीगण को उक्त भूमि पर ऋण लेने आदि की आवश्यकता हुई तो अपने अपने पिता का नाम मांगा गया तब अपीलान्ट्स प्रथम जानकारी 07.02.2023 को होना बताया है । धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए बताये गये कारणों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

5. अपीलान्ट्स की इस अपील के जरिये मुख्य प्रार्थना यह है कि नट्टी बाई के फौती नामान्तकरण में पिता के स्थान पर माता की वल्दियत लिखी हुई है उसे दुरूस्त किया जावें । इस अपील में सह खातेदार रेस्पो0 से कोई रिलीफ नहीं चाही गई है, ऐसी स्थिति में यह अपील अपीलांट्स की वल्दियत माता नट्टी बाई के स्थान पर पिता लाला की वल्दियत दर्ज करने की हद तक अपील आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

6. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलांट्स की वल्दियत में माता नट्टी बाई के स्थान पर पिता लाला दर्ज करने की हद तक नामान्तकरण निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है । नामान्तकरण का शेष भाग यथावत रहेगा ।

7. निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा